रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102021-230373
CG-DL-E-12102021-230373

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 589] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 12, 2021/आश्विन 20, 1943
No. 589] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 12, 2021/ASVINA 20, 1943

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2021

सा.का.नि. 731(अ).—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 5 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 51 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, एतद्वारा, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें एवं निबंधन) नियमावली, 2014 को संशोधित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें एवं निबंधन) (तृतीय संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें एवं निबंधन) नियम 2014 के नियम 10(i) के उप-नियम (1) में निम्नलिखित परंतुक को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात् :- परन्तु यह कि प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को पंद्रह-पंद्रह दिन के दो किस्तों में अर्जित अवकाश को अवकाश खातों में जमा किया जाएगा; परन्तु यह भी कि विगत छमाही की समाप्ति पर शेष अर्जित अवकाश को अगली छमाही में जोड़ दिया जाएगा।

(ii) उप-नियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-नियमों को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात:-

(4) वे एक कैलेण्डर वर्ष में आठ दिन के आकस्मिक अवकाश के पात्र होंगे।

(5) वे सेवा के प्रत्येक वर्ष में चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर अथवा निजी कार्य हेतु 20 दिन के अर्ध-वैतनिक अवकाश के पात्र होंगे जो प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को 10-10 दिन की दो किस्तों में अग्रिम रूप से उनके खाते में जमा की जाएगी तथा अर्ध-वेतन हेतु अवकाश वेतन, अर्जित अवकाश के दौरान स्वीकार्य अवकाश वेतन के आधे वेतन के समतुल्य होगा।

(6) अर्ध-वैतनिक अवकाश को अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक सदस्यों के विवेकानुसार पूर्ण वैतनिक अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि उक्त अवकाश चिकित्सा आधार पर लिया जाए तथा इसकी पुष्टि सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी के चिकित्सा प्रमाण-पत्र से की जाए।

[फा. सं. 19/1/2020-पीआर]

ललित कुमार, आर्थिक सलाहकार

टिप्पणी : मूल नियम को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में 20 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 597(अ) के तहत प्रकाशित किया गया था और तदनंतर 2 अगस्त, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 987(अ) और 2 जनवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 07(अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2021

G.S.R. 731(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 51, read with sub-section (3) of section 5 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances Payable to, and Other Terms and Conditions of Service of, Chairperson and Whole-time Members) Rules, 2014, namely:-

1. **Short title and commencement.---**(1) These rules may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances Payable to, and Other Terms and Conditions of Service of, Chairperson and Whole-time Members) (Third Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances Payable to, and Other Terms and Conditions of Service of, Chairperson and Whole-time Members) Rules, 2014, in rule 10,- (i) in sub-rule (1), the following provisos shall be inserted, namely :- "Provided that the leave account shall be credited with earned leave in advance in two instalments of fifteen days each, on 1st January and 1st July of every calendar year: Provided further that the earned leave at the credit at the close of previous half year shall be carried forward to the next half year.";

(ii) after sub – rule (3), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

(4) They shall be entitled to eight days casual leave in a calendar year.

(5) They shall be entitled to half pay leave on medical certificate or on private affairs at the rate of twenty days in respect of each completed year of service, to be credited in advance in two instalments of ten days each, on 1st January and 1st July, of every calendar year and leave salary for half pay shall be equivalent to half of the leave salary admissible during the earned leave.

(6) Leave on half pay may be commuted to full pay leave at the discretion of the Chairperson or a Whole Time Members, if is taken on medical grounds and is supported by a Medical Certificate by competent medical authority.

[F. No. 19/1/2020-PR]

LALIT KUMAR, Economic Advisor

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 597 (E), dated the 20th August, 2014, and subsequently amended by vide numbers G.S.R. 987 (E), dated the 2nd August, 2017, and G.S.R. 07 (E) dated the 2nd January, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA